प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

प्रेषितः–

1 अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर
2. सभी विभागाध्यक्ष (क्लीनिकल)
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

मुज0 दिनांक –

विषयः संलग्न पत्र के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संलग्न पत्र के आलोक में, आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर संज्ञान लेते हुए आप सभी पदाधिकारियों को सूचित करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपने – अपने विभाग (OPD/IPD/Emergency) में पूर्ण रूप से सतर्कता बरते एवं सजग रहें, ताकि इस प्रकार की घटना घटित न होने पाये ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/–
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांकः–1767/19 दिनांकः– 5/9/19

प्रतिलिपिः–

1. ईस्टेट ऑफिसर/ओ0एस0डी0, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अस्पताल प्रबंधक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
3. कॉलेज वेबसाईट ।

5/9/19
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

Sri Krishan Medical College, Muz.
Letter No:- 10128/19
Date:- 27/2/19
Receiver Sign

सेवा में,

प्रधानमंत्री महोदय,

भारत सरकार।

विषय :- श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (SKMCH) का आदतन गैरजिम्मेदाराना रवैया।

महाशय,

दिनांक 22.02.2019 को मेरा 28 वर्षीय बेटा श्री कामेश्वर सहनी पिता श्री नारायण सहनी अपने घर पर बैठा था। शाम में अचानक मेरे ही गाँव के कुछ हिंसक असामाजिक लोग मेरे निर्दोष निर्बल बेटे को जान से मारने के नियत से हमला कर छुरा गहराई तक घोंपकर यह समझकर अपराधी भाग गया कि कामेश्वर सहनी मर गया। मै जब तक समझ पाता कि क्या और क्यों हुआ तब तक अपराधी अपराध को अंजाम देकर भाग गये थे। मैं अपने बेटे को जल्दी जल्दी गाड़ी से अपने जिला मुख्यालय में अवस्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया जहाँ अस्पताल के कर्मचारियों ने मेर बेटे को इलाज के लिए इमरजेन्सी में भर्ती किया। करीब 20 घंटे तक मेरे बेटे को अस्पताल में रखने के बाद दिनांक 23.02.2019 को अस्पताल के कर्मचारियों को क्या सूझा की उन्होंने मेरे मरनासन्न घायल बेटे को अस्पताल से निकाल दिया तथा मुझसे कागज पर हस्ताक्षर निशान भी करवा लिया। मैं पढ़ा-लिखा आदमी नही हूँ, बहुत प्रयास करने के बाद मैंने केवल अक्षर-कट्टू हस्ताक्षर करना सीखा है। इसलिए मै इस बात को नहीं समझ पाया कि SKMCH अस्पताल के कर्मियों ने किस आधार पर बनावटी कारण बनाते हुए गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए मेरे बेटे को अस्पताल से अन्यत्र ले जाने

को कहकर भगा दिया।

आखिर मेरे बेटे को SKMCH से भगा देने के लिए अपराधियों ने अस्पताल कर्मियों को कितना रिश्वत दे दिया। क्या बिहार में ही अपराधी ही हावी है ? क्या गरीब निर्बल इंसान को अपराधी के सामने समर्पण कर देना चाहिए ? या अपराधियों के डर से आत्महत्या कर लेना चाहिए या फिर गरीबों को कैसे जीना चाहिए इसके लिए सरकारों को समानता के सिद्धांत के उलट कानूनी निर्देश या कानून बनाना चाहिए ताकि गरीब, गुण्डा अपराधियों की चक्की में पीस-पीस कर मर जाए क्योंकि इसके लिए तो कोई संज्ञानलेने वाला भी नहीं है इसलिए अपराधियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा।

महाशय, इसकी जाँच करवायी जाए कि रोज कितने लोगों को इस तरह से रेफर किया जाता है, क्यों ? किस कारण से रेफर किया जाता है। क्या SKMCH और अन्य सरकारी अस्पतालों में संसाधन का इतना अभाव है या फिर सरकारी पैसे जो कर से संग्रहित है, कि लूट है। क्या खुले बाजारों में गरीबों को लूटने के लिए भेज दिया जाता है ? ऐस ही करोड़ों सवाल है जो मै इस राष्ट्रवादी देशरुपी घर के अद्वितीय ईमानदार गार्जियन श्रीमान् प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

मेरे समझ से पूरे बिहार में एवं थोड़ा सा उत्तरप्रदेश में भी ऐसी ही व्यवस्था जहाँ शक्तिशाली लोगों का कानून ही देश के कानून पर हावी है। यदि आपको मेरे इस कथन पर विश्वास नहीं है तो आप उच्चस्तरीय जाँच करवा लिजिये, सच्चाई सामने आ ही जायेगा। बिहार के एक विभाग नहीं, बल्कि सभी विभागों, क्रियान्वित सभी योजनाओं का यही हाल है।

चूँकि निर्बल, गरीबों, बेसहारों के लूटते रहने की सूचना आप तक पहुँचता ही नहीं है क्योंकि गरीब निर्बल तो आदतन स्वाभाविक ही मूक बधिर होते है और बिहार के विकास का कागजी रिपोर्ट भी बिहार के लाईसेन्सी लूटेरा यानि राजनेता, पदाधिकारी एवं अपराधी के आपसी गठजोड़ से ही तैयार होता है इसलिए सही तस्वीर भी सामने कैसे आयेगा और यही है बिहार के निर्बलों की सच्ची तस्वीर। चूँकि मेरे बेटे को SKMCH ने भगा दिया और उसी जगह से एक दलाल ने मुझे अपने साथ ले जाकर ग्लैक्सी हॉस्पीटल, मोतिहारी रोड, N.H.-28 दामोदरपुर रेलवे गुमटी नं0-106 के सामने, बैरिया, मुजफ्फरपुर ले जाकर मेरे बेटे को भर्ती करवा दिया। मुझे तो अपने बेटे की जान बचाने की बेचैनी थी इसलिए उस दलाल के कहे अनुसार अपने बेटे का इलाज घाव ठीक होने तक वहीं करवाता रहा और ग्रामीण महाजनों से सूद पर पैसा लेकर ग्लैक्सी का भुगतान कर अस्पताल से मुक्त हुआ लेकिन जब ग्लैक्सी अस्पताल से legal purpose (लीगल परपस) के लिए injury report माँगा तो अस्पताल कर्मी ने कहा कि injury report आपको SKMCH ही देगा। उसके बाद मार्च 2019 से आजतक अपना रोजी रोटी छोड़कर SKMCH का चक्कर लगा-लगाकर थक गया हूँ लेकिन आज तक SKMCH ने मुझे injury report नहीं दिया।। बार-बार उल्टी-पुल्टी गाली देकर मुझे भगाता रहा है।

श्रीमान् आप मेरे साथ SKMCH में हुई ज्यादती पर विचार कीजिए जो मेरे साथ ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन/प्रत्येक वर्ष बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बिहार के आदतन करोड़ों मूक बधिर निर्बलों गरीबों के साथ होता ही है। मैं आपको ये challenge करता हूँ कि करीब छः महीने तक अपना रोजी रोटी छोड़कर SKMCH का

चक्कर लगाने के बाद थक हारकर आपतक अपनी आवाज एवं बिहार की वास्तविकता पहुँचा रहा हूँ लेकिन ऐसी करोड़ों आवाज जो दबी है उसका क्या होगा, उसका संज्ञान कौन लेगा विचार कीजिए।

महाशय, कृपाकर आप रिश्वतखोरों को चेतावनी देने की कृपा करे कि अरे रिश्वतखोरों, कम से कम अभी तो बुरी आदत छोड़ों क्योंकि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को सुधारने का मौन कसम खा चुका है।

अतः आपसे निवेदन हे कि आप कानून बनाकर यह निश्चित करें कि refral letter या discharge करने के साथ ही patient को injury report भी दे ही दिया जाए ताकि रिश्वतखोरी की गुंजाइश नहीं रह जाये।

अन्त में निवेदन है कि यह राज्य के अधीन की समस्या है, कहकर जवाबदेही न टाला जाये।

प्रतिलिपि-

1. मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार
2. स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार
3. मुख्यमंत्री बिहार सरकार
4. स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार
5. नेता प्रतिपक्ष, बिहार
6. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर
7. प्रिन्सीपल, SKMCH मुजफ्फरपुर
8. गृह मंत्री, भारत सरकार

संलग्नक-

1. referal letter की छाया प्रति
2. ग्लैक्सी का रिपोर्ट
3. घटना से सम्बन्धित अन्य कागजात

विश्वासभाजन

श्रीनारायण सहनी

श्रीनारायण सहनी
पिता- [redacted] रामनन्दन सहनी
ग्राम-धोबौली, पो0-गोदनपट्टी
थाना-गायघाट,
जिला-मुजफ्फरपुर
पिन-843118
मो0 - [redacted]